

पत्रांक

पञ्जाब प्रशासनिक सेवा (अ.प्र.) अधिनियम, 1957

८-१२/११/२००७

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २००७

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो दिल्ली प. कुमा. जैन, स्त्री, का.प्र. 2. वर्तमान धारित पद सहायक मेस्री, स्त्री, का.प्र. 3. वर्तमान वेतन कुल मूल्य 42,124/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2010

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरा		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. जिला बिड़रहा तहसील कुमाई ग्राम डोरपुर	—	कुछि भूमि 8.897 हैक्टेयर	रु. 18.00 लान लाभान	स्वयं के नाम पर	परिवारिक लेनवा, ब. 1986-87 एवं 1997-98	—	—
2. जिला कोयल तहसील हुजूर ग्राम कोलुमाकल	उप भवन	100.32 बर्ग मीटर	कुल मूल्य 28.00 लान लाभान	स्वयं के नाम पर पति के नाम पर	स्वयं (कुल मूल्य 2005 फेब्रुअरी 2006-07 में) राज टांक प्र. लि. कोयल ज. के. 10-25 कोयल में	—	—

- * जहाँ लागू न हो कर दीजिए।
** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के आदर्श में लागू मूल्य बताना जाय।
*** इसमें कल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

नियम: पञ्जाब देश शासकीय सेवा (आचार्य) नियम, 1957 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परीक्षा पर ध्यान देकर प्रयत्न करें और इसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अचल सम्पत्ति के अंतर्गत है।

कानून-1211-अससप्रवि-21-12-06-10,000.

हस्ताक्षर

नाम दिल्ली प. कुमा. जैन

पद सहायक मेस्री

विभाग लोक सेवा-21 आर्थिक नियंत्रण, कोयल (क.प्र.)